न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 28 / 2024

जी.सी.एस.एस. नं. : 2024 / 127

हरीश गर्ग पुत्र हरजिन्द्र गर्ग निवासी वार्ड नं. 10 जैतसर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार श्रीविजयनगर

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 30.08.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी के द्वारा यह प्रथम अपील इस आधार पर प्रस्तुत की हैं कि राज्य लोक सूचना अधिकारी के द्वारा निश्चित समयावधि जवाब नहीं दिया गया हैं। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पत्र के संबंध में जवाब प्रतिवेदन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीविजयनगर के पत्रांक / रीडर / 2024 / 407 दिनांक 25.07.2024 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री हरीश गर्ग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना कार्यालय के पत्रांक / सूकाअ / 2024 / 303 दिनांक 19.06.2024 द्वारा समयावधि में प्रावधानों के तहत सूचित किया जा चुका हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा प्रतिवेदन के साथ पत्रांक / सूकाअ / 2024 / 303 दिनांक 19.06.2024 की प्रति प्रेषित की गयी हैं का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की गयी हैं कि "आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना आप द्वारा सविवेकानुसार प्रश्न संधारित कर उनके संबंध में सूचना चाही गई है। प्रश्नात्मक सूचनाएं सूचना के अधिकार अधिनियम के बाहर है। आप द्वारा सृजित प्रश्नों का उत्तर देना लोक सूचना अधिकारी का दायित्व नहीं है। सूचना उसी रूप में दी जा सकती है जिस रूप में अभिलेख संधारित है। आप द्वारा चाहे गये अनुसार सूचना संधारित करके देना लो सूचना अधिकारी का दायित्व नहीं हैं। आप कार्यालय दिवस कार्यालय समय में उपस्थित होकर दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं।

प्रत्यर्थी राज्य लोक सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक को कार्यालय में उपस्थित होकर दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त करने हेतु पत्र दिनांक 19.06.2024 को जारी किया हैं, परन्तु अपीलार्थी के द्वारा यह अपील ऑनलाईन पोर्टल के द्वारा दिनांक 18.06.2024 को प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलार्थी के द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 19.05.2024 को आवेदन किया गया था। जिसकी सूचना प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 19.06.2024 को प्रेषित की गयी हैं। चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र के जवाब में सूचना कार्यालय समय में उपस्थित होकर प्राप्त करने के लिए पत्र लिखा गया हैं। ऐसी स्थिति में अपील खारिज योग्य हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को सूचनार्थ / पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 30.08.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)

I.A.S

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)